उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या-4/907/तीस-1-2013-50एम0/98

लखनऊ:दिनांक 22 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या-64, सन् 1950) की धारा-45 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा विनियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम-4 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा विनियमावली, 1998 में, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, विनियम-4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1			स्तम्भ-2		
विद्यमान उप विनियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम		
पदनाम	पदों की संख्या		पदनाम	पदों की संख्या	
	अस्थायी	स्थायी		अस्थायी	स्थायी
(1) सहायक विधि अधिकारी	17	-	(1) प्रबन्धक (विधि)	01	-
			(2) सहायक प्रबन्धक (विधि)	04	-
			(1) सहायक विधि अधिकारी	17	-

विनियम-5 का संशोधन

3- उक्त विनियमावली में, विनियम-5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (घ) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
विद्यमान खण्ड		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
5 (घ) विधि संवर्ग		(घ) विधि संवर्ग	
		1- प्रबन्धक (विधि)	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक प्रबन्धक (विधि), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

http://shasanadesh.up.nic.in

		2- सहायक प्रबन्धक (विधि)	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक विधि अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।
सहायक विधि अधिकारी	(क) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) तीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त विधि सहायकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।	3- सहायक विधि अधिकारी	(क) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) तीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त विधि सहायकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/907 (1)/तीस-1-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 22अक्टूबर, 2013 के असाधराण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-1, कक्ष संख्या-321, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शीला कनौजिया)
अनु सचिव।

संख्या-4/907 (1)/तीस-1-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
(2) विधायी अनुभाग-1.
(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शीला कनौजिया)
अनु सचिव।

http://sbasanadesh.up.nic.in